Sl. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4
	03/4/18	न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–12/2015 अंचल अधिकारी, सोनो – आवेदक बनाम विशुन देव सिंह पे0–स्व0 बैकुण्ठ सिंह — प्रथम पक्ष विपक्षी सं0–01 इन्द्र देव सिंह पे0–स्व0 बैकुण्ठ सिंह — प्रथम पक्ष विपक्षी सं0–02 राजो सिंह पे0–स्व0 बैकुण्ठ सिंह सभी साकिन–मटिहाना, पो0–पैरा, जिला–जमुई। — प्रथम पक्ष विपक्षी सं0–03 मुकेश सिंह पे0–वासुदेव सिंह, साकिन–कोनियॉ, थाना–चरकापत्थर, जिला–जमुई। — द्वितीय पक्ष विपक्षी सं0–01 **आदेश** अंचल अधिकारी, सोनो ने अपने पत्रांक–102 दिनांक–14.03.2015 से प्रतिवेदित किया है कि राजस्व ग्राम कोनियॉ, थाना सं0–22/59, खाता सं0–260, खेसरा सं0–1237 खतियान में गैरमजरूआ मोकरीदार किस्म परती कदीम कुल रकवा–46.46 एकड़ है। वर्तमान में यह भूमि सार्वजनिक उपयोग में है। इसके अंश भाग का लगभग–01 एकड़ का प्रयोग ग्रामीणों द्वारा कब्रिस्तान के रूप में उपयोग किया जाता है। शेष भाग में मंदिर, विद्यालय तथा ब्रहम्स्थान है, जिसका सार्वजनिक उपयोग किया जाता है। अंचल अधिकारी, सोनो ने इस संदर्भ में मजार कब्रिस्तान की रंगीन तस्वीर भी उपलब्ध कराया जो अभिलेख पर पोषित है। कब्रिस्तान के सार्वजनिक उपयोग में होने के कारण योजना एवं विकास विभाग द्वारा कब्रिस्तान की घेराबन्दी का कार्य किया जा रहा था। घेराबन्दी के नापी के क्रम में ग्राम कोनियॉ के मुकेश सिंह पे0–श्री वासुदेव सिंह द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत खेसरा सं0–10.17 एकड़, खेसरा की जमाबन्दी सं0–110 उनके रिस्तेदार श्री बैकुण्ठ सिंह, साकिन–मटिहाना पो0–पैरा, अंचल–सोनो, जिला–जमुई के नाम से चल रही है। श्री सिंह का कहना है कि वे उक्त जमीन का देखभाल करते है। श्री सिंह ने ये भी दावा किया है कि प्रश्नगत खेसरा से 10.17 एकड़ भूमि 125 रूपये की नजराना प्राप्त कर वर्ष–1346 फसली में तत्कालीन जमीन्दार के द्वारा बैकुण्ठ महतो पे0–जयनाथ महतो, साकिन–पैरामटिहाना के नाम से बन्दोवस्त की गई। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा अनिबंधित सादा हुकुमनामा तथा कतिपय लगान रसीद की छाया–प्रति भी दाखिल की गई है। जमाबन्दी सं0–110 का अवलोकन किया गया। अंचल अभिलेख से दाखिल रसीदों का मिलान किया गया। प्रथम दृष्टयाः जमाबन्दी सं0–110 के सृजन का आधार पंजी–2 में दर्ज नहीं होने, सादा हुकुमनामा फर्जी प्रतीत होने तथा लगान रसीद का अभिलेख से नहीं मिलने के कारण अंचल अधिकारी के द्वारा उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अंचल अधिकारी, सोनो के अनुशंसा के आलोक में बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम की धारा–09 के तहत जमाबन्दी सं0–110 को रद्द करने हेतु यह वाद दायर की गई। उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् वाद को अंगीकार किया गया एवं विपक्षीगण को तद्नुसार सूचना निर्गत किया गया।	

वाद में निम्नलिखित भूमि सन्निहित है :–

अंचल का नाम	राजस्व ग्राम एवं थाना नं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	जमाबंदी सं0
1	2	3	4		5
सोनो	कोनियॉ 22 / 59	260	1237 (अंश)	10.17 एकड़	110

विपक्षीगण के द्वारा प्रत्युितर दाखिल किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

विपक्षीगण का कहना है कि खाता सं0–260, खेसरा सं0–1237 का 10.17 एकड़ भूमि सादा हुकुमनामा से वर्ष–1346 फसली में तत्कालीन जमीनदार के द्वारा श्री बैकुण्ठ सिंह विपक्षी के प्रथम पक्ष के पिता को बन्दोवस्त किया। जमीनदार के द्वारा जमीन के विरूद्ध रिर्टन दाखिल किया गया था। उक्त जमाबन्दी सं0–110 कायम हुआ एवं तब से उनका भूमि पर दखल कब्जा है।

विपक्षी का यह भी कहना है कि वे प्रश्नगत बन्दोवस्त भूमि में से एक अर्जुन मोदी, साकिन–बहेरवातरी को एक एकड़ भूमि केवाला से ब्रिकी भी किये है। उक्त केवाला के आधार पर अर्जुन मोदी के पक्ष में जमाबन्दी भी कायम है तथा श्री मोदी लगान भी अदा कर रहे है।

विपक्षीगण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–16123 / 2013 में दिये गये न्याय निर्णय का भी हवाला देते हुए बताया गया कि अगर हुकुमनामा से विधिवत् जमाबन्दी कायम है और राज्य इसे रद्द करना चाहती है तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल करना चाहिए। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय का सार निम्नवत् है। "Cancellation of Jamabandi Merely because in the cadestral Survey a land is shown as Gair Mazarua Aam, Gair Mazarua khas or Qaisar-ehind, is not a determining factor today-It only shows the history-It is well settled judicially that such lands can be settled-That being so, it cannot be said that as the lands were recorded as Gair Mazarua Aam, Gair Mazarua Khas or Quaisar-e-hind, the settlements in respect thereof and the jamabandi in respect there of becomes suspect or becomes illegal-If the State intends to cancel such Jamabandi, it is for them to move the Civil Court for proper declaration..."

आवेदक के तरफ से प्रभारी अंचल निरीक्षक, सोनो के द्वारा सुनवाई के क्रम में बताया गया कि विपक्षीगण जिस हुकुमनामा को जमाबन्दी सृजन का आधार बता रहे है वो प्रथम दृष्टयाः फर्जी प्रतीत होता है। अंचल निरीक्षक का कहना है कि हुकुमनामा निर्गत होने का वर्ष 1346 फसली अर्थात् 1939 ए0डी0 है।

अंचल निरीक्षक के अनुसार विपक्षी–01 विशुनदेव सिंह पे0–स्व0 बैकुण्ठ सिंह का सरकारी अभिलेख के अनुसार जन्म का वर्ष 1940 है। (पंचायत आम निर्वाचन, 2016 वार्ड सं0–09 के मतदाता कमांक–315 पर विशुनदेव सिंह पे0–स्व0 बैकुण्ठ सिंह का उम्र 76 वर्ष दर्ज है।)

श्री राजदेव सिंह विपक्षी सं0–02 पे0–स्व0 बैकुण्ठ सिंह का मतदाता सूची कमांक–317 पर उम्र 68 वर्ष दर्ज है। (मतदाता पहचान पत्र सं0–XCL1221373, के अनुसार जन्म तिथि वर्ष 1948)।

श्री इन्द्र देव सिंह विपक्षी स0–03 पे0–बैकुण्ठ सिंह का मतदाता सूची कमांक–320 पर उम्र 66 वर्ष दर्ज है। (मतदाता पहचान पत्र सं0–XCL0525899 के अनुसार जन्म तिथि वर्ष 1950) दर्ज है।

अंचल निरीक्षक का कहना है कि विपक्षी–01 प्रथम पक्ष के उम्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तथा कथित हुकुमनामा निर्गत होने की तिथि को उनके

A Home Jud

पिता श्री बैकुण्ठ सिंह के उम्र मात्र 01 (एक) वर्ष की रही होगी। जो इस तथ्य को पुष्ट करता है कि हुकुमनामा फर्जी है तथा सरकारी भूमि को हड़पने के ख्याल से बनाया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनो का कहना है कि सादा हुकुमनामा के (नजराना) की राशि 125 (एक सौ पच्चीस) रूपये दर्ज है, जो इस वाद की पुष्टि करता है कि प्रश्नगत बन्दोवस्त भूमि का ततसमय बाजार मूल्य 100 रूपये से ज्यादा का था। अतएव निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत ऐसे अचल सम्पति के हस्तांतरण का निबंधित होना अनिवार्य है। प्रश्नगत सादा हुकुमनामा को अचल सम्पति के हस्तांतरण के साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, सोनो द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीगण का भी दखल–कब्जा नहीं रहा, जबकि सार्वजनिक उपयोग में रही है। विपक्षीगण के द्वारा कर्मचारी को मेल में लाकर बिना किसी आधार का फर्जी तरीके से रजिस्टर–2 में जमाबन्दी सं0–110 दर्ज कर रसीद प्राप्त की गई है। यह रसीद WP (Without Prejudice) निर्गत है। इससे स्वामित्व की पुष्टि नहीं होती है।

अंचल अधिकारी, सोनो का यह भी कहना है कि सादा हुकुमनामा वर्ष 1939 का दाखिल किया गया है, मगर वर्ष 1954–55 की दाखिल की गई है। जमींनदारी उन्मूलन के पूर्व लगभग 16 वर्ष रसीद का न होना यह बात का प्रमाणित करता है कि विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि से कभी दखल–कब्जा नहीं रहा है। यह भी कहना है कि 26 जनवरी, 1955 को जमीन्दार को रिर्टन दाखिल करने का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात् ही बिहार सरकार के द्वारा रसीद निर्गत की गई है। यहाँ वर्ष 1954–55 का लगान रसीद अंचल द्वारा निर्गत दिखाया गया है।

विपक्षीगण के द्वारा रिर्टन में बन्दोवस्ती का उल्लेख होना बताया गया है। साक्ष्य के रूप में कोई ऐसा दस्तावेज/रिर्टन की प्रति नहीं दाखिल की गई है जिससे विपक्षीगण के इस कथन की पुष्टि होती है कि जमाबन्दी सं0–110 जमीनदारी उन्नमूलन से श्री बैकुण्ठ सिंह के नाम से ही कायम रही है।

अंचल अधिकारी का यह भी कहना है कि प्रश्नगत बन्दोवस्त भूमि ग्राम कोनियॉ, थाना स0–22/59 जबकि विपक्षीगण पैरामटिहाना के निवासी है। स्पष्टतः स्व0 बैकुण्ठ सिंह राजस्व ग्राम के कोनियॉ के Settled raiyat कभी नहीं रहे है। गॉव के Settled raiyat नहीं होने के बावजूद को ही हुकुमनामा से भूमि बन्दोवस्त दिखाया जाना हुकुमनामा के प्रमाणिकता को संदिग्ध बनाता है। हुकुमनामा को दोनों राजस्व गॉव की दूरी लगभग 20 कि0मी0 है तथा इनकी (सीमा) आपस में मिलती भी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में पैरामटिहाना के रैयत को राजस्व ग्राम कोनियॉ में भूमि बन्दोवस्त किये जाने का दावा उचित प्रतीत नहीं होता है।

आवेदक अंचल अधिकारी, सोनो के जॉच प्रतिवेदन, दखल कब्जा के संदर्भ में स्थल का समर्पित किये रंगीन तस्वीर, 125 (एक सौ पच्चीस) रूपये से अधिक मूल्य के भूमि का अनिबंधित दस्तावेज से अचल सम्पति का हस्तांतरण, विपक्षगण के उम्र के आधार पर हुकुमनामा निर्गत तिथि को तथा कथित बन्दोवस्ती प्राप्त करता कि उम्र मात्र एक वर्ष का होना, दावा किये गये लगान रसीद का (2002 के पूर्व का) अंचल अभिलेख से पुष्टि नहीं होना, विपक्षीगण द्वारा अपने दावा के पक्ष में जमींदारी रिर्टन या अन्य दस्तावेज का दाखिल नहीं किया जाना से प्रथम दृष्टया ही प्रतीत होता है कि जमाबन्दी सं0–110 का सृजन का आधार फर्जी दस्तावेज है। अर्थात् जमाबन्दी का विधिवत् कभी सृजन नहीं किया गया है। कर्मचारी के मेल में रजिस्टर–2 में जमाबन्दी सं0–110 बिना किसी सक्षम प्राधिकार के दर्ज की गई है।

उभयपक्ष के द्वारा दाखिल कागजातों का परिशीलन किया गया। अंचल अधिकारी, सोनो का पक्ष तथा विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी द्वारा उठाये गये बिन्दु की समीक्षा की गई।

विपक्षी का यह भी कहना है कि उनकी जमाबन्दी सं0–110 जमींदारी उन्नमूलन के पूर्व से कायम है, कि पुष्टि उनके द्वारा दाखिल किसी भी कागजात से नहीं होती है। अपने कथन के पुष्टि हेतु विपक्षी द्वारा रिर्टन की प्रति या जमींदार द्वारा निर्गत कोई रसीद प्रति दाखिल नहीं की गई।

विपक्षी जिस सादा हुकुमनामा के आधार पर वर्ष 1939 में प्रश्नगत भूमि की बन्दोवस्ती अपने पिता श्री बैकुण्ठ सिंह के नाम बता रहे है। जबकि सरकारी अभिलेख के अनुसार विपक्षी–प्रथम एक का जन्म वर्ष 1940 प्रमाणित होता है। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी के पिता का उम्र सादा हुकुमनामा निर्गत तिथि को मात्र एक वर्ष रहीं होगी। यह कथन प्रमाणित करता है कि उक्त सादा हुकुमनामा फर्जी है।

सादा हुकुमनामा पर 125 (एक सौ पच्चीस) रूपये नजराना दर्ज है, जो इस वाद को प्रमाणित करता है कि प्रश्नगत भूमि का मूल्य 100 रूपये से ज्यादा रहा है। ऐसी परिस्थिति में निबंधन अधिनियम वर्ष 1908 के धारा 17 के अन्तर्गत सादा हुकुमनामा को अचल सम्मपति के हस्तांतरण के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

अंचल अधिकारी, सोनो का जॉच प्रतिवेदन, मजार, कब्रिस्तान की रंगीन तस्वीर के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है तथा भूमि सार्वजनिक उपयोग में रहीं है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी सं0–110 का कभी विधिवत् सृजन ही नहीं हुआ है। विपक्षीगण जिस सादा हुकुमनामा को जमाबन्दी सृजन का आधार होने का दावा कर रहे है उसकी पुष्टि नहीं होती है। विपक्षीगण के उम्र संबंधित अभिलेख से प्रमाणित होता है कि श्री बैकुण्ठ सिंह की उम्र सादा हुकुमनामा निर्गत होने की तिथि को मात्र एक वर्ष थी। यह तथ्य प्रथम द्रष्टयाः ही हुकुमनामा को संदिग्ध तथा फर्जी प्रमाणित होती है। ऐसी परिस्थिति में इसे जमाबन्दी सृजन का आधार नहीं माना जा सकता है। फर्जी/जाली दस्तावेजों को रद्द कराने हेतु किसी भी न्यायालय में वाद लाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

उक्त तथ्यों के आलोक में इस जमाबन्दी रद्दीकरण वाद को स्वीकृत की जाती है तथा तदनुसार अंचल अधिकारी, सोनो को निदेश दिया जाता है कि खाता सं0–260, खेसरा सं0–1237 (अंश), रकवा–10.17 एकड़ जमाबन्दी सं0–110 से विलोपित करें।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, सोनो को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

3/4/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

3/4/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 324 /रा0, दिनांक– 7.4.18

प्रतिलिपि–आदेश की प्रति विपक्षीगण को उपलब्ध करावे एवं इसकी प्रति अंचल अधिकारी, सोनो एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को आवश्यक कार्यार्थ भेजे।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/4/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।